

14/08/25

अधिकृत अपीलें उपर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय  
द्वारा अपीलें द्वारा प्रस्तुत बाद जो अदम्य तकमील  
में धारित किया गया है एवं अपीलें द्वारा उक्त  
आदेश के विरुद्ध न्यायालय राज्या के समक्ष उपरोक्त  
अपील प्रस्तुत की गई है। अनूनाम ऐसे आदेश के  
विरुद्ध माननीय राज्य मंत्रालय के समक्ष निगरानी किये  
जाने का प्रावधान है। लिहाजा उक्त अपील न्यायालय  
राज्या के समक्ष चलने योग्य नहीं होने से (पौखलीय)  
धारित की जाती है। पत्रावली नैसल सुमार होकर  
बाद आवश्यक कार्यवाही दायिल कृत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली